यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर** के माह **जनवरी 2020 से जनवरी 2021** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विकास कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.02.2021 से 16.02.2021 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) **परिचयात्मकः** कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर** के लेखा अभिलेखों की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अनुज कुमार सिंघल, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 09.01.2020 से 14.01.2020 तक निष्पादित की गई थी, जिसमे माह 04/2016 से माह 12/2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

इकाई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न पेयजल कार्यों के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी है।

(iii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		मुख्य लेखाशीर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत	टिप्पणी
	स्थापना	गैर स्थापना		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय			
2017-18	**534.66**			**1171.89**	**1006.78**	**49.27**	**56.04**	**693.00**		
2018-19	**693.00**		**10200/2003**	**1237.02**	**1489.04**	**71.51**	**65.20**	**447.21**		
2019-20	**447.21**			**2958.57**	**1568.60**	**67.11**	**83.99**	**1820.30**		
2020-21 (01/2021 तक)	**1820.30**			**2964.20**	**2217.96**	**42.97**	**49.13**	**2560.38**		

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड

↓

प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

↓

मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

↓

महाप्रबंधक, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, गढ़वाल

↓

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **जनवरी 2021**को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. **महाप्रबंधक** द्वारा 29.12.2020 तक निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी – लागू नहीं

4. फार्म 51:

भाग प्रथम - लागू नहीं

भाग द्वितीय - लागू नहीं

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम –
(ख) सामग्री क्रय -
(ग) नगद परिशोधन - लागू नहीं
(घ) निक्षेप -
(ङ) भण्डार -

भाग II (ब)

प्रस्तर - 1 : तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना रुपए 302.48 लाख का व्यय किया जाना ।

उत्तराखंड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-03 के शासनादेश संख्या XXVII-3-2020-01(Writ)/2016 दिनांक 18 जून 2020 के द्वारा 30 शैय्यायुक्त राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई, देहरादून को उच्चीकृत करते हुए 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु रु 1925.46 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये रु 1000.00 लाख अवमुक्त किए गए थे। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 2 में यह प्रावधान किया गया था कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

कार्यालय परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर के निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा उपरोक्त कार्य को कराने के लिए मैसर्स माकिन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नरेंद्र विहार, बल्लूपुर रोड, देहरादून के साथ अनुबंध किया गया था (अनुबंध संख्या 16/जीएम(Garh)/2020-21 दिनांक 16.09.2020)। अनुबंध की धनराशि रु 162383961/- तथा कार्य को प्रारंभ करने की तिथि 18 सितंबर 2020 व कार्य पूर्ण करने की तिथि 17 मार्च 2022 निर्धारित की गई थी।

उक्त कार्य पर इकाई द्वारा जनवरी 2021 तक रु 302.48 लाख का व्यय कर दिया गया था परंतु लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी जबकि शासनादेशानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका संख्या 30/2014, सुरेंद्र सिंह थापा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, में राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के क्रम में राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई, जनपद देहरादून को 30 शैय्यायुक्त से 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकरण कार्य प्रस्तावित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका के मद्देनजर एवं कार्य की महत्ता के दृष्टिगत निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ किया जाना अति आवश्यक था जिस कारण तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब हुआ। शीघ्रातिशीघ्र तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट कहा गया था कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा था कि बिना तकनीकी स्वीकृति के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया जाए।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर - 2 : अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत धनराशि 2.18 लाख कम जमा किया जाना।

अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 169/42/XXVII(10)/2016/2019 दिनांक 12 जून 2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक 01 अप्रैल 2019 से मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, विकासनगर के अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के NPS अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु शासनदेशानुसार 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer/ उत्तराखंड पेयजल निगम) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से जमा नहीं कराया जा रहा है व पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को ही लेखापरीक्षा तिथि तक (फरवरी 2021) दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान एवं उस पर मिलने वाले लाभ की हानि हो रही है (सूची संलग्न)। लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर गणना की गई, तो पाया गया कि शासनादेश के नियमों के विरुद्ध कार्मिकों को उत्तराखंड पेयजल निगम (नियोक्ता) द्वारा 01 अप्रैल 2019 से माह सितम्बर 2020 तक कुल धनराशि 218198/- का कम अंशदान जमा किया गया था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त शासनादेश निगम बोर्ड की बैठक में पास होने के उपरांत अधिकारियों/कर्मचारियों के खाते में 14% निगम अंशदान जमा कर दिया जाएगा। इकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः अंशदायी पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा कम अंशदान धनराशि रु 2.18 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर - 3 : ठेकेदारों के देयकों से धनराशि ₹ 1.48 लाख की रॉयल्टी की कटौती न किया जाना।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अनुसार नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, पर प्रतिस्थापित रॉयल्टी की दर @ ` 7/- प्रति कुंतल अथवा @ ` 154/- प्रति घन मीटर निर्धारित है।

शासनादेश के अनुसार ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिए अथवा ठेकेदार द्वारा Form J/11 या Vendor से खरीदे हुये Materials का Invoice कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, विकासनगर देहरादून के चयनित माह जनवरी 2021 के बिलों/वाउचरों (तालिकानुसार) की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यालय द्वारा ठेकेदारो के कुल 03 देयकों से कुल धनराशि ₹ 148483/- की रॉयल्टी की कम कटौती करके भुगतान किया गया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुयी है।

क्र. सं.	वाउचर संख्या.	दिनांक	Running Bill की धनराशि (₹ में)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध संख्या	रॉयल्टी की धनराशि (` में)
1	--	16.1.21	6056068.00	M/s Shreejikrupa Builders Ltd	20/GM/2020-21	79090.00
2	03	18.1.21	1279472.00	M/s Ujjwal Enterprises	12/PM/2020-21	31113.00
3	03	27.1.21	4276111.00	M/s Mewa Ram	33/GM/2019-20	38280.00
					योग	**148483.00**

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त तीनों योजना के रवन्ने संविदाकार से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार संविदाकार से देयकों के साथ ही रवन्ने प्राप्त कर भुगतान किया जाना चाहिए अथवा रवन्नों की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिए।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**प्रस्तर का विवरण**	
		भाग –II (अ)	**भाग –II (ब)**
1	69/2010-11	-	1
2	52/2011-12	शून्य	1,2,3,4,6
3	43/2014-15	शून्य	6
4	60/2016-17	1	4
5	231/2019-20	शून्य	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..............................शून्य....................................

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. सतत् अनियमितताएः **शून्य**

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**इं रवीन्द्र कुमार**	**परियोजना प्रबन्धक**	**03.10.2017 से वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II (Non-PSU)